पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 39/2015/निगरानी

जगदीश प्रसाद आयु 54 वर्ष पुत्र ग्यारसीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1 बहादुरमल आयु 45 वर्ष पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

2 ग्राम पंचायत पाटन जरिये सरपंच/सचिव पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम
विरूद्व निर्णय प्रशासन स्थाई समिति नीमकाथाना जिला सीकर
दिनांक 17.12.2009

वकील प्रार्थी श्री गंगाधर भूरिया
वकील अप्रार्थी श्री मदन लाल शर्मा

निर्णय दिनांकः—21.11.2017

संक्षेप में निगरानीकर्ता के कथनों के अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगरानीकर्ता बहादुरमल ने प्रार्थी निगरानीकर्ता जगदीश प्रसाद के पट्टाशुदा प्लाट वाके कस्बा पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अवस्थित है, के विषय में अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति नीमकाथाना के समक्ष पट्टा दिनांकित 15.04.1988 बहक जगदीश प्रसाद निगरानीकर्ता के विरूद्व इस आशय की प्रस्तुत की कि कस्बा पाटन तहसील नीमकाथाना में बहादुरमल के कब्जे एवं स्वामित्व के रिहायसी मकान व बाड़ा है, जिसकी पैमाईश उत्तर दक्षिण 50 फिट तथा पूरब पश्चिम 60 फिट है, जिसके उत्तर में तिबारा खटीकान, दक्षिण में रास्ता आम, पूरब में खाली जमीन व पश्चिम में जगदीश का मकान है, जिसमें रिहायसी पुख्ता मकानात बने हुए है तथा बाड़े में बाउण्डरीवाल का निर्माण किया हुआ है। मकानों के सहारे मैंने उक्त भूमि में रास्ता कायम किया है। जगदीश प्रसाद का उक्त रिहायसी मकान व बाडे से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत पाटन के तत्कालीन सरपंच महेश शर्मा ने जगदीश को पट्टा दिए जाने की कार्यवाही की है। पट्टाशुदा विवादित भूमि पर जगदीश का कब्जा नहीं है, कब्जे के सम्बन्ध में जांच भी नहीं की गई है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे का रिकॉर्ड भी नहीं है न ही प्रस्ताव लिया गया है, कोई निलामी भी नहीं की गई है, पट्टे पर ग्राम पंचायत सरपंच व उपसरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है, पट्टा गलत तैयार किया गया है। पट्टे का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं होने के कारण शपथ—पत्र पर अपील पेश की गई। उक्त अपील के दर्ज होने पर रेस्पोडेन्ट जगदीश को नोटिस जारी किये तत्पश्चात् प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा बाला बाला दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को अपना निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 15.04.1988 को अवैध रूप से निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से पीड़ित होने पर निगरानीकर्ता जगदीश की ओर से यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता जगदीश को ग्राम पंचायत पाटन द्वारा पट्टा दिनांक 15.04.1988 का दिया हुआ है जिसकी कीमत की राशि भी ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट जगदीश से 300—00 रूपये प्राप्त किये है। उक्त पट्टे की आज्ञा संख्या 77 है। ग्राम पंचायत ने सही रूप से जांच कर पट्टा जारी किया है एवं आज भी निगरानीकर्ता का पट्टे की जमीन पर कब्जा है।-सरपंच देवकी द्वारा दिनांक 26.05.2008 को लिखित में यह दिया है कि दिनांक 15.04.1988 जगदीश प्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल कम्हार के पट्टा सम्बन्धित रिकार्ड ग्राम पंचायत पाटन में नहीं है। रिकार्ड की

सार संभाल का कार्य ग्राम पंचायत का होता है, रिकार्ड क्यों नहीं है इसका कोई कारण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बताया गया है, फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के पट्टे के विषय में तत्कालीन सरपंच महेश कुमार शर्मा द्वारा घर बैठ कर नियम विरूद्व गलत पट्टा जारी करने की फाईण्डिंग देकर जो निर्णय पारित किया है, वह आदेश गैर निगरानी निरस्तनीय है। चुनोतीग्रसत पट्टे के सम्बन्ध में गैरनिगरानीकर्ता बहादुर ने एक वाद उनवानी बहादुर बनाम जगदीश मुकदमा नम्बर 29/08 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा माननीय सिविल न्यायाधिश (क.ख.) नीमकाथाना में मय अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन मुकदमा नम्बर 27/08 प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें अपील में दर्ज मकान व बाड़े की सीमा उत्तर दक्षिण 60 फिट व पूरब पश्चिम 50 फिट दर्ज की है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के स्वयं बहादुर ने कमिश्नर नियुक्त करवा कर मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से दावे की नाप जोख का कोई मेल नहीं खाता है। बहादुर द्वारा बताये गये नाप जोख का कोई बाड़ा नहीं है। पट्टा सन् 1988 का है पट्टा जगदीश को मिले हुए 22 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2009 बहादुर बनाम जगदीश आदि को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है वंही विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता का कथन है कि विवादित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किया हुआ है। जिसका रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड अवलोकन से जाहीर है कि उक्त विवादित पट्टा सम्बंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत पाटन में उपलब्ध नहीं है। प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना के द्वारा निर्णय किया गया है कि उक्त पट्टे के सम्बंध में ग्राम पंचायत पाटन में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जिसके बारे में वर्तमान सरपंच देवकी द्वारा दिनांक 26.05.2008 को लिखित में यह दिया गया है कि दिनांक 15.04.1988 को जगदीश प्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल कुम्हार के पट्टा सम्बंधी रिकॉर्ड ग्राम पंचायत पाटन में नहीं है। इस प्रकार पट्टे का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध न होना भी गलत एवं नियम विरूद्व है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच महेश कुमार शर्मा द्वारा घर बैठकर नियम विरूद्व गलत पट्टा जारी किया है। जिसका रिकॉर्ड भी पंचायत में नहीं रखा है। इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा रेस्पोडेंट जगदीश प्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल कुम्हार निवासी पाटन के नाम जारी किया गया पट्टा की आज्ञा संख्या 77 दिनांक 15.04.1988 निरस्त किया जाता है। रिकॉर्ड सम्बंधित दस्तावेजात ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के तथ्य को देखते हुये निगरानीकर्ता जगदीश के नाम से जारी पट्टा आज्ञा संख्या 77 दिनांक 15.04.1988 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा जारी निर्णय दिनांक 17.12.2009 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/17

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर